(152)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 558-चार/98 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.1998 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर निगरानी प्रकरण क्रमांक 203/94-95.

विश्वनाथ पिता नाना चौधरी
निवासी लोगी, तहसील बुरहानपुर
जिला पूर्व निमाड़ .....आवेदक

विरूद्ध

1. द्वारकाबाई पति जगन्नाथ
   निवासी खिरड़ी तहसील रावेर
   जिला खण्डवा
2. यमुबाई पति लक्ष्मण
   निवासी चहारडी, तहसील
   तह. चोपड़ा, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) .....अनावेदकगण

श्री वी.के गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 05.01.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मृतक सकुबाई के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर उनका नाम दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया। तहसीलदार

द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदक एवं उसके अभिभाषक के दिनांक 16.06.1994 को अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तदोपरांत आवेदक द्वारा एकपक्षीय आदेश निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.02.1995 को आदेश पारित कर एकपक्षीय आदेश निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर बुरहानपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.08.1995 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 05.01.1998 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार एकपक्षीय कार्यवाही के बाद भी प्रकरण में भाग ले सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि केवल तकनीकी त्रुटि के आधार पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकपक्षीय कार्यवाही दण्डात्मक कार्यवाही नहीं है, जिस पर विचार नहीं करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा कानूनी भूल की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा धारा 41 के अंतर्गत नियम 13 के तहत शपथ पत्र आवेदन के साथ देना आवश्यक होना मानकर निगरानी निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई, जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है। इस आधारपर कहा गया कि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश अवैधानिक, अनियमित एवं क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय ने आवेदक के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही समाप्त कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का उचित निर्णय लिया था । अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा मात्र समय-सीमा को आधार

बनाकर तहसील न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर आवेदक को सुनवाई का अवसर देने को, गलत मानकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है । विचारण न्यायालय में गुण-दोष पर ही प्रकरण का उभय पक्ष को पूर्ण सुनवाई का अवसर के बाद निर्णय उचित होगा । अतः अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह शीघ्र प्रकरण का अंतिम निराकरण करे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर